प्रकरण संख्या 41/2019 RCMS ID-2019/00278 ता0रजू 20.12.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, सपोटरा, तहसील–सपोटरा, जिला–करौली – प्रार्थी

बनाम

श्री त्रिलोक चन्द मीना उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत इनायती तहसील सपोटरा, जिला–करौली –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए, राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बाबत् जब्तशुदा 60.35 क्विं. गेंहूं मय वारदाना को राजसात् किये जाने

निर्णय

दिनांक 10.02.2020

प्रवर्तन निरीक्षक, सपोटरा द्वारा राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया के दिनांक 11.05.2017 से 13.05.2017 तक जिले में भ्रमण के दौरान के खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा अप्रार्थी की राशन दुकान का अवलोकन किया गया जिसमें 97.30 क्विं. गेंहूं मय वारदाना व 1237.50 लीटर केरोसीन को जब्त किया गया था जिसे राजसात् करने बाबत् इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र मु.नं. 13/2017 पेश किया गया था। उक्त मु.नं. 13/2017 में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2019 द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड कर तत्कालीन रिकॉर्ड के आधार पर पुनः जांच करने एवं अनियमितता पाये जाने पर पुनः प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किये जाने बाबत् आदेश पारित किया गया था जिसकी पालना में यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

प्रवर्तन निरीक्षक, सपोटरा द्वारा इस प्रार्थना द्वारा अवगत करवाया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया के दिनांक 11.05.2017 से 13.05.2017 तक जिले में भ्रमण के दौरान खाद्य विभाग जयपुर द्वारा गठित जॉच दल द्वारा श्री त्रिलोकचन्द मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत इनायती की दिनांक 13.05.2017 से 14.05.2017 तक जॉच की गयी। जॉच दल की रिपोर्ट अनुसार वक्त जॉच दुकान में पाये गये सम्पूर्ण स्टॉक 97 क्विं. 30 किलो गेहूँ मय बारदाना एवं 1237.5 ली. केरोसीन को जब्त किया गया था। प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा जब्त किये गये स्टॉक के अन्तिम निस्तारण हेतु धारा 6ए के तहत माननीय न्यायालय जिला कलक्टर करौली मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.09.2019 की पालना में श्रीमान जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पत्र क्रमांक रसद अभि/2019–20/890 दिनांक 11.10.2019 द्वारा में तत्कालीन रिकॉर्ड अनुसार पुनः जॉच के आदेश फरमाये गये थे। पुनः जॉच में तत्कालीन रिकॉर्ड के अनुसार उचित मूल्य दुकानदार के पास स्टॉक की निम्न स्थिति पायी गयी–

01. गेहू–

दिनांक 01.09.2016 से दिनांक 14.05.2017 तक

01.09.16 का प्रारम्भिक स्टॉक	वक्त जॉच तक आमद	कुल योग	वितरण	अवशेष स्टॉक	भौतिक सत्यापन	अन्तर स्टॉक
0kg	426.25 क्विं.	426.25 क्विं.	388.30 क्विं.	37.95 क्विं.	98.30 क्विं.	60.35क्विं. अधिक

उचित मूल्य दुकानदार श्री त्रिलोकचंद के तत्कालीन रिकॉर्ड के अनुसार वक्त जॉच डीलर के पास 37.95 क्विं. गेहूँ शेष होना चाहिऐ था जबकि डीलर के पास वक्त मौका भौतिक सत्यापन पर 98.30 क्विं. गेहूँ मिला। इस प्रकार रिकॉर्ड अनुसार डीलर के पास आवश्यक वांछित मात्रा से कुल 60.35 क्विं. गेहूँ अधिक पाया गया था। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा श्रीमान जिला रसद अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट दिनांक 06.11.2019 प्रस्तुत करने पर श्रीमान जिला रसद अधिकारी द्वारा डीलर के पास अधिक पाये गये शेष 60.35 क्विं. गेहूँ के अंतिम निस्तारण हेतु माननीय न्यायलय जिला कलक्टर को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेशों की अनुपालना में श्रीमान जी की सेवा में प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत किया गया है। अंत में राशन डीलर श्री किरोडीलाल मीना के पास अधिक पाये गये 60.35 क्वि. गेहूँ मय बारदाना राजसात् करने के कथन के साथ–साथ जब्तशुदा गेहूँ के अंतरिम निस्तारण हेतु आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत तथ्यों पर परिवाद प्रस्तुत किया है। 60 क्विं. 35 किलो गेंहूं अधिक नहीं था। जांच रिपोर्ट श्रीमान्जी के आदेशानुसार नहीं बनाई। माह अप्रैल 2017 का लगभग 45–46 क्विं. गेंहूं जो गुलाबपुरा व भूत्यापुरा के उपभोक्ताओं को पोस मशीन द्वारा दे दिया गया लेकिन प्रार्थी के घर में शादी दिनांक 28.04.17 की होने के कारण उक्त गेंहूं की तुलाई नही होने के कारण उपभोक्ताओं द्वारा गेंहूं का उठाव नहीं किया गया जो मई 2017 के गेंहूं के साथ किया जाना था जो उपभोक्ताओं का अमानत था जो प्रार्थी द्वारा जांच दल को अवगत करा दिया था। प्रवर्तन निरीक्षक ने प्रार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 113/17 तहत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम इस बाके की सपोटरा थाने में दर्ज कराई जो राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.03.2018 को निरस्त कर दी थी जिसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा की गई अपील भी दिनांक 04.12.2017 को खारिज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। अतः जब्तशुदा सामग्री प्रार्थी को वापस लौटाई जावे। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। माननीया मुख्यमंत्री महोदया के जिले में भ्रमण के दौरान खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा अप्रार्थी की राशन दुकान की जांच में भौतिक सत्यापन करने पर 98.30 क्विं. गेंहूं पाया गया था जबकि कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर वक्त जांच अपीलार्थी की दुकान पर 37.95 क्विं. गेंहूं होना चाहिये था जो कि 60.35 क्विं. गेंहूं अधिक पाया गया है। उक्त गेंहूं अप्रार्थी की दुकान पर अधिक पाये जाने के संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और ना ही इसका अप्रार्थी द्वारा खण्डन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा माह अप्रैल में उक्त गेंहूं का वितरण किया जाना लेकिन तौल नहीं किया जाना अंकित किया गया है। 60.35 क्विं. की अधिक मात्रा की राशन सामग्री को, जो सैंकड़ों उपभोक्ताओं की होती है, को उपभोक्तागण राशन को राशन कार्ड में वितरण करवाले एवं उसकी तौल नहीं करवाये या उसे लेकर नहीं जावे, ऐसा होना संभव प्रतीत नहीं होता है। यह अप्रार्थी द्वारा की जा रही अनियमिततओं को ही दर्शाता है। इसलिये यह निर्विवाद है कि वक्त जांच अप्रार्थी की राशन दुकान पर कार्यालय अभिलेख एवं ऑडिट रिपोर्ट अनुसार अवशेष स्टॉक की मात्रा से 60.35 क्विं. गेंहूं अधिक पाया गया है जिसका हिसाब अप्रार्थी इस न्यायालय में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। अतः उक्त जब्तशुदा 60.35 क्विं. गेंहूं को राजसात किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं जब्तशुदा 60.35 क्विं. गेंहूं को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी करौली को आदेश दिये जाते हैं कि जब्तशुदा 60.35 क्विं. गेंहूं को जिस राशन डीलर की सुपुर्दगी में दिया गया है, उसके गेंहूं के आवंटन रोस्टर में से एकबारीय 60.35 क्विं. गेंहूं कम करके जब्तशुदा 60.35 क्विं. गेंहूं को पोस मशीन द्वारा पात्र उपभोक्ताओं में बंटवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:59:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: